राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
(ग्रुप – 3)

क्रमांक प.6(48)/प्र.सु./अनु.3/2004 जयपुर, दिनांक 11.03.2010

आज्ञा

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15.02.2007 द्वारा गठित राज्य ई–प्रशासन परिषद (State e-Governance Council) के निम्नानुसार पुर्नगठन की स्वीकृति राज्यपाल महोदया द्वारा प्रदान की जाती हैः–

1.	मुख्यमंत्री	अध्यक्ष
2.	मुख्य सचिव	उपाध्यक्ष
3.	प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	संयोजक
4.	प्रमुख शासन सचिव, वित्त (अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि)	सरकारी सदस्य
5.	प्रमुख शासन सचिव, उद्योग (अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि)	सरकारी सदस्य
6.	श्री एन.आर. नारायण मूर्ति, अध्यक्ष, इन्फोसिस (अथवा नामित प्रतिनिधि)	गैर सरकारी सदस्य
7.	श्री किरण कार्णिक,भू.पू. अध्यक्ष, नास्कॉम	गैर सरकारी सदस्य
8.	श्री राजेन्द्र पंवार, अध्यक्ष, एन.आई.आई.टी लिमिटेड	गैर सरकारी सदस्य
9.	श्री एस.आर.राव, आई.ए.एस., अतिरिक्त सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्रालय, भारत सरकार	सरकारी सदस्य
10.	डा. अशोक झुनझुनवाला, प्रोफेसर, आई. आई.टी. चेन्नई	गैर सरकारी सदस्य
11	महानिदेशक, नेशनल इनफोरमेटिक सेन्टर (एन.आई.सी)	सरकारी सदस्य
12.	श्री नावेद आई.खान, कार्यकारी निदेशक, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट एण्ड एशिया पेसिफिक, फ्रास्ट एण्ड सुलिवन	गैर सरकारी सदस्य

राज्य ई–प्रशासन परिषद द्वारा निम्नांकित कार्य सम्पादित किये जायेंगेंः–

1. राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं को राज्य के आर्थिक विकास में सहायक बनाने के राज्य सरकार के प्रयासों को दिशा प्रदान करने एवं सरकारी प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने हेतु दिशागत प्रतिवेदन तैयार करने में सहायता प्रदान करना।
2. राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी नीति तैयार करने हेतु परामर्श देना एवं उसके माध्यम से राज्य में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के अनुरूप स्थित उन्पन्न कर राज्य को सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अग्रणी बनाने में सहयोग प्रदान करना।

कृ.प.उ.

3. राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास के लिये परामर्श देना तथा राज्य सरकार, उद्योग, शैक्षणिक संस्थाओं एवं नागरिकों की सहभागिता से सूचना प्रौद्योगिकी नीति के क्रियान्वयन हेतु संसाधन उपलब्ध करवाने में सहयोग देना।
4. सूचना प्रौद्योगिकी नीति के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं को दूर कर नीतिगत उद्देश्यों की प्राप्ति को सुलभ बनाने हेतु परामर्श देना।
5. सरकार एवं उद्योग के मध्य समन्वय स्थापित कर राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से संबंधित समस्याओं को हल करने में सहयोग प्रदान कराना।
6. ई–गवर्नेन्स से संबंधित मुद्धों पर परामर्श देना।
7. सूचना प्रौद्योगिकी कार्य क्षेत्र का निर्धारण
8. सूचना प्रौद्योगिकी कार्य योजना का पुर्नरीक्षण
9. सूचना प्रौद्योगिकी विकास के लिए प्राथमिकता एवं नीति निर्धारण
10. ई–प्रशासन में नागरिक केन्द्रित परियोजनाओं को प्रोत्साहन

ई–प्रशासन परिषद का प्रशासनिक विभाग सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग होगा।

आज्ञा से,

उपशासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया, राजस्थान, जयपुर
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
4. समस्त प्रमुख शासन सचिवगण, राजस्थान, जयपुर
5. शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. सचिव, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, इलेक्ट्रोनिक निकेतन, नई दिल्ली
7. समस्त संभागीय आयुक्त
8. महानिदेशक, नेशनल इनफोरमेटिक सेन्टर (एन.आई.सी), नई दिल्ली
9. समस्त शासन सचिवगण, राजस्थान, जयपुर
10. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान, जयपुर
11. समस्त जिला कलैक्टर, राजस्थान
12. ई–प्रशासन परिषद के समस्त सदस्य(परिषद के प्रशासनिक विभाग के माध्यम से)
13. उपशासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर
14. उपशासन सचिव, वित्त (व्यय–।, ।।, ।।। एवं IV)
15. आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर को आज्ञा की अतिरिक्त प्रतियॉ समस्त संबंधित को वितरण हेतु प्रेषित है।
16. निदेशक, जन–सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
17. रक्षित पत्रावली

अनुभागाधिकारी